

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 141/2021
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2021/371

वादी
अदरीम पुत्र महेन्द्र खां
जाति सिंधी मुसलमान
निवासी नवोड़ा बेरा
तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील
पाटोदी

बनाम प्रतिवादी

1. अयुब खां पुत्र इस्माईल खां
2. रोशन अली पुत्र इस्माईल खां
3. फारुख खां पुत्र अब्दुल रहमान
जाति छीपा मुसलमान निवासी नवोड़ा बेरा
तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी
4. वली खां पुत्र महेन्द्र खां के वारिसान
4/1. हासम खां पुत्र वली खां
4/2. इलमदीन पुत्र वली खां
4/3. पीरु खां पुत्र वली खां
4/4. लतीफ खां पुत्र वली खां
4/5. साउ पत्नी वली खां
5. हनीफ खां पुत्र महेन्द्र खां
6. माहम्मद खां पुत्र महेन्द्र खां
7. हासम खां पुत्र वली खां
8. सुभान खां पुत्र गाजी खां
जाति सिंधी मुसलमान निवासी नवोड़ा बेरा
तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा वर्तमान तहसीलदार पाटोदी



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1. श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता वादी
2. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1,3 व 4/2 से 4/5 एवं 6
3. प्रतिवादी संख्या 02,4/1,5 व 7 से 9 एकतरफा।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक- 20/06/2025

संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि सरहद मौजा नवोड़ा बेरा तहसील पंचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 1478,1480 व 1483 कुल रकबा 44.16 बीघा भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 19.12.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पाटोदी को मौके पर जाकर वादप्रस्त भूमि का वाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पाटोदी द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे उभय-पक्षकारान अधिवक्ताओं द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अंतिम डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा नवोड़ा बेरा तहसील पंचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 1478,1480 व 1483 कुल रकबा 44.16 बीघा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हेक्ट.)	किस्म	बचिन्ह
1	अदरीम खां पुत्र महेन्द्र खां जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	नवोड़ा बेरा	1478	0.0361	बा.दोयम	A
			1478	0.0935	बा.दोयम	B
			1478	0.0268	बा.दोयम	C
			1480	0.4264	बा.दोयम	D
2	अयुबखां, रोशनअली पि. इस्माईलखां, फारुख पुत्र अब्दुलरहमान जाति छिपा मुसलमान सा. देह खातेदार	नवोड़ा बेरा	1483	0.2995	बा.सोयम	E
			1480	1.5135	बा.सोयम	F
3	हासमखां, इलमदीन, पीरूखां, लतीफखां पि. वलीखां, साउ पत्नी वलीखां जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	नवोड़ा बेरा	1480	0.0229	बा.दोयम	G
			1478	0.0991	बा.दोयम	H
			1480	0.2119	बा.दोयम	I
			1480	0.4264	बा.दोयम	J
			1478	0.0268	बा.दोयम	K
			1478	0.1193	बा.दोयम	M



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

4	मोहम्मदखां पुत्र महेन्द्रखां जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	नवोड़ा बेरा	1480	0.0221	बा.दोयम	N
			1480	0.4264	बा.दोयम	O
			1480	0.2119	बा.दोयम	P
			1478	0.0268	बा.दोयम	Q
			1478	0.0697	बा.दोयम	R
			1480	0.1496	बा.दोयम	S
5	सुभानखां पुत्र गाजीखां जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	नवोड़ा बेरा	1480	1.6465	बा.दोयम	ZC
			1480	0.0465	बा.दोयम	ZD
			1478	0.1200	बा.दोयम	ZE
6	हनीफखां पुत्र महेन्द्रखां ज जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	नवोड़ा बेरा	1480	0.0110	बा.दोयम	T
			1478	0.0247	बा.दोयम	U
			1478	0.1004	बा.दोयम	V
			1478	0.2512	बा.दोयम	W
			1478	0.0268	बा.दोयम	X
			1480	0.4924	बा.दोयम	Y
7	हासमखां पुत्र वलीखां हिस्सा 1/2, मोहम्मदखां पुत्र महेन्द्रखां हिस्सा 1/2, जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	नवोड़ा बेरा	1480	0.2119	बा.दोयम	ZA
			1478	0.1119	बा.दोयम	ZB

तहसीलदार, पाटोदी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामान्तकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा।



निर्णय आज दिनांक 20/6/25 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

(Signature)
(अशोक कुमार)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 20/6/25 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

(Signature)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 141/2021
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2021/371
वादीगण बनाम प्रतिवादी

अदरीम पुत्र महेन्द्र खां
जाति सिंधी मुसलमान
निवासी नवोड़ा बेरा
तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी

1. अयुब खां पुत्र इस्माईल खां
2. रोशन अली पुत्र इस्माईल खां
3. फारूख खां पुत्र अब्दुल रहमान
जाति छीपा मुसलमान निवासी नवोड़ा बेरा
तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी
4. वली खां पुत्र महेन्द्र खां के वारिसान
- 4/1. हासम खां पुत्र वली खां
- 4/2. इलमदीन पुत्र वली खां
- 4/3. पीरु खां पुत्र वली खां
- 4/4. लतीफ खां पुत्र वली खां
- 4/5. साउ पत्नी वली खां
5. हनीफ खां पुत्र महेन्द्र खां
6. माहम्मद खां पुत्र महेन्द्र खां
7. हासम खां पुत्र वली खां
8. सुभान खां पुत्र गाजी खां
जाति सिंधी मुसलमान निवासी नवोड़ा बेरा
तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा वर्तमान तहसीलदार पाटोदी



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 141/2021

निर्णय दिनांक :- 20.6.2025

वादी की ओर से श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1,3 व 4/2 से 4/5 एवं 6 की ओर से अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 02,4/1,5 व 7 से 9 एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 20.06.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

कि-वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 20.06.2025 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार पाटोदी को आदेश दिये जाते हैं कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 20.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अशोक कुमार)
 सहायक कलक्टर
 (एस.डी.ओ.) बालोतरा
 20/06/2025

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
	जोड़		जोड़



(अशोक कुमार)
 सहायक कलक्टर
 (एस.डी.ओ.) बालोतरा
 20/06/2025